

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 293/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री दिनेश बैरवा पुत्र श्री राजू लाल बैरवा
2. श्री राजू लाल बैरवा पुत्र श्री जगदीश बैरवा
3. श्रीमती नारंगी देवी पत्नी श्री राजू लाल बैरवा
निवासीगण:-प्लॉट नम्बर 153, वैष्णो विहार-द्वितीय, कोकावास, साँगानेर, जयपुर, राजस्थान।
4. श्री अजय बैरवा पुत्र श्री तारा चन्द बैरवा
निवासी:-कोकावास, शिकारपुरा, साँगानेर, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 07.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नारंगी देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 152, वैष्णो विहार-द्वितीय, कोकावास, साँगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 187.83 वर्गगज एवं श्री राजू बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 1532, वैष्णो विहार-द्वितीय, कोकावास, साँगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 139.18 वर्गगज को बन्धक रख कर 13,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.02.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- 3. वित्तीय संस्था के सुधोस अधीनता को गैर से सुना गया। मजबूती का मतौबाति अवलोकन किया गया।
- 4. राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को भारत का तत्काल में वित्त मंत्रालय को अधिसूचना नं० दिल्ली 18 दिसम्बर 2022 से सुधोस अधीनता 2022 के तहत वित्तीय संस्थाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- 5. मजबूती के अवलोकन से पता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने अराधीयता को 13,00,000/- रुपये का अग्र दिया है जिसकी प्रतिशुद्धि वसूली के रूप में अराधीयता के तत्काल में प्रतिशुद्धि बकाया के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के पास विरही रखी है। अराधीयता का अग्र सात रज भी र कीर्तित होने से विधिवतुसार अग्र वसूली के लिए बकाया अग्र राशि नया साज सुन 17,28,220/- रुपये तथा करने हेतु अराधीयता को दिनांक 13.02.2022 को अधिनियम की धारा 18 (2) के अधीन घोषित जारी किया गया। अराधीयता द्वारा तत्काल में वित्त मंत्रालय को अग्र बकाया की राशि दिया गया और अराधीयता द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया अग्र राशि का मुआवजा की राशि किया गया है। मजबूती में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्राधान्य के तहत वित्तीय संस्था को बकाया राशि की संपत्ति का कर्जा प्राप्त करने का अधिकार है पर अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के सह से बकाया राशि की संपत्ति का शैतिक कर्जा दिनांक जाने का सख्त प्राधान्य है। धारा 14 के प्राधान्य पर के तहत में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक सख्त पर प्रस्तुत कर दिया गया है।
- 6. अनु. The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रस्तुत अधिनियम के तहत प्राधान्य पर बकाया का राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के सह से अराधी कीर्तित करने के तहत अधिनियम की संपत्ति दांत नंबर 132, शैको वित्त-वित्तीय, कोलकाता, सौगानेर, जयपुर क्षेत्रक 137-23 वर्गम 24 की राशि 1000 से अधिनियम की संपत्ति दांत नंबर 132, शैको वित्त-वित्तीय, कोलकाता, सौगानेर, जयपुर क्षेत्रक 138-16 वर्गम का शैतिक रूप से कर्जा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी सख्तिता मुद्रित धाना प्राप्त किए जाने अधिनियम दिने वाले है।
- 7. अधिनियम की प्राप्ति सख्तिता मुद्रित वसूली/मुद्रित अधिक (सख्तिता) जयपुर को भेज कर लिया जाने की तहत संपत्ति का कर्जा राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सख्तिता कर वित्तीय संस्था को दिनांक हेतु सख्तिता धानाकीर्तनी को निर्दिष्ट करे एवं धाना रिपोर्ट विषयमे हेतु मजबूत की। अधिनियम की प्राप्ति तहत कायदा जारी हो। मजबूती नंबर से कम होकर दालित दफ्तर हो।



(सिखन विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर

अथवा दिनांक 07.03.2022 को सरे इतनास सुनाया गया।